

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सत्तावाराधक
राज्य आपदा मोचन वल,
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 24 जुलाई, 2024

विषय- राज्य आपदा मोचन वल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनावंटन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-प्रशि०-01/2024, दिनांक 31.05.2024, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य आपदा मोचन वल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से उ०प्र० राज्य आपदा मोचन वल को धनराशि ₹0 1,12,27,900/- (एक करोड़ बारह लाख सत्ताइस हजार नौ सौ मात्र) आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में अपेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित तालिका के क्रमांक 1 से 11 पर अंकित प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालित किये जाने हेतु धनराशि ₹0 30,07,900/- स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी अपेजल समिति की संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में भी राज्य आपदा मोचन वल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम/गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु धनराशि ₹0 30,07,900/- स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

क्र०	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान	प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण अवधि (सप्ताह/दिवस)	प्रति प्रशिक्षु अनुमानित दर	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	एन०डी०आर०एफ० में नव नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का सी०एस०एस०आर० एम०एफ०आर०/फ्लड/रेस्क्यू/सी०वी०आर०एन०/वर्तिका/एडिशनल प्रशिक्षण	एन०डी० आर०एफ०	50	07 सप्ताह	12000	60000
2	न्यूया डाइविंग प्रशिक्षण	-----	30	03 सप्ताह	36000	108000
3	राम रेस्क्यू प्रशिक्षण	-----	30	04 सप्ताह	28000	84000
4	सी०एस०एस०आर० एम०एफ०आर० एण्ड सी०एस०एस०आर०	एन०डी०आर०एफ०	10	05 सप्ताह	10930	109300

5	टी0ओ0टी0 सी0बी0आर0एन0				
6	एम0ओ0टी0 एमएफआर एण्ड सी0एस0एस0आर0		10	04 सप्ताह	3580
7	एम0ओ0टी0 सी0बी0आर0एन0		5	01 सप्ताह	3530
8	टी0ओ0टी0 केंडर		10	02 सप्ताह	1495
9	बेसिक सी0बी0आर0एन0		10	01 सप्ताह	3860
10	बोरबेल रेस्क्यू प्रशिक्षण		12	04 सप्ताह	3580
11	एडवांस इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट		20	03 दिवस	2457
		योग	60	01 सप्ताह	3000
					180000
					30,07,900

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 30प्र0 राज्य आपदा मोचन बल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उक्त प्रस्तर-1 की तालिका पर उल्लिखित राज्य आपदा मोचन बल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम/गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी विल्डिंग मद-11 से धनराशि रु 30,07,900/- (तीस लाख सात हजार नौ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सेनानायक, 30प्र0 राज्य आपदा मोचन बल के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाईडलाइंस के अनुसार किया जायेगा। सेनानायक, 30प्र0 राज्य आपदा मोचन बल द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाईडलाइंस के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) 30प्र0 राज्य आपदा मोचन बल द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे उससे इतर कोई कार्य/प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं कराया जायेगा।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (4) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (5) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/इंधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व 30प्र0 राज्य आपदा मोचन बल का होगा।
- (6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तिका न कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभाग की कार्यवाही समयवदरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 30,07,900/- (तीस लाख सात हजार नौ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिसर्वास फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by

Ram Kewal

Date: 24-07-2024 10:43:35

भवदीय,

(राम केवल)

विशेष सचिव

संख्या:-996(1)/एफ-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 3- राहत आयुक्त, 30प्र0, तखनऊ।
- 4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- 5- विशेष सचिव/लोडन अधिकारी वजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- राजस्व अनुभाग-11/गाइड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-30/08/2024

प्रेषण संख्या:- 996
आवंटन आदेश संख्या:- 001-996
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2563-सेनानायक आपदा मोचन बल , लखनऊ-02-एसडीआरएफ	वर्तमान	3007900	3007900
		प्रगामी	3007900	3007900
	योग	वर्तमान	3007900	3007900
		प्रगामी	3007900	3007900

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीस लाख सात हजार नौ सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीस लाख सात हजार नौ सौ



(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन